अध्याय -1
सिंहावलोकन

प्रस्तावना

1.1.1 रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 की अवधि को कवर करती है । कंपनी कार्य मंत्रालय निगमित क्षेत्र के विनियमन हेतु सांविधियों की एक व्यापक श्रृंखला के प्रशासन से संबंधित है जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियम शामिल हैं । मंत्रालय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, जिसके अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) कार्य कर रहा है, के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त, यह तीन निकायों नामतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, (आईसीएआई), भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत तथा कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के क्रियाकलापों का निरीक्षण भी करता है जिनका गठन संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत देश में सनदी लेखाकार, कम्पनी सचिव और लागत लेखाकार के व्यवसायों की उचित तथा व्यवस्थित वृद्धि के लिए किया गया है । मंत्रालय का दायित्व साझेदारी अधिनियम, 1932, कम्पनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रशासन से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कार्यों को भी करने का है । मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अध्याय-5** में दिया गया है ।

1.1.2 श्री प्रेमचन्द गुप्ता ने 29 जनवरी, 2006 से कम्पनी कार्य मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

1.1.3 श्रीमती कोमल आनन्द की 30 अप्रैल, 2006 को अधिवर्षिता पर श्री अनुराग गोयल ने 1 मई, 2006 से कम्पनी कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन

1.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2 दिसम्बर, 2004 को डॉ.जे.जे.इरानी, निदेशक, टाटा सन्स की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए एक व्यापक आधार वाली परामर्शी प्रक्रिया के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के व्यापक संशोधन हेतु एक क्रिया प्रारम्भ की गई थी । मुद्दों की जाँच करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मई, 2005 को प्रस्तुत की थी । विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच विभिन्न हितबद्धों के साथ परामर्श से की गई थी । समय-समय पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त आदानों को ध्यान में रखते हुए एक प्रारम्भिक मसौदा विधेयक तैयार किया गया है। उचित परामर्श तथा अनुमोदन के पश्चात इस संबंध में संसद में एक विधेयक पेश किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रतिस्पर्धा आयोग

1.3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)14 अक्तूबर, 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित किया गया था । प्रतिस्पर्धा अधिनियम के कुछ पहलुओं पर कुछ कानूनी चुनौतियां थी जिन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 जनवरी, 2005 को निर्णय दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मार्च, 2006 में संसद में कुछ संशोधन लाए गए थे । इनकी वित्त पर स्थाई समिति द्वारा विस्तृत जाँच की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट को 12.12.2006 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा । संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में विहित सिफारिशें अधिनिगमन हेतु विचार किए जाने के लिए संसद के समक्ष पेश किए जाने वाले अंतिम संशोधनों को तैयार करने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन है ।

एमसीए 21 ई-शासन परियोजना

1.4 कम्पनी कार्य मंत्रालय **एमसीए 21 ई-शासन परियोजना** को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है । यह राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है । इस परियोजना में पंजीकरण तथा दस्तावेजों को दर्ज कराने सहित कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जा रही सभी सेवाओं को समूचे देश में सभी निगमित तथा अन्य निकायों को किसी भी समय उन्हें उपयुक्त लगने वाले तरीके से आसान तथा सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच से महैया कराया जाना परिकल्पित है । यह कार्यक्रम परिणाम आधारित है और देश में निगमित क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न हितबद्धों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुंधार पर केन्द्रित है । परियोजना की लागत 345 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है । परियोजना में एक क्रियान्वयन चरण तथा एक प्रचालन चरण का प्रावधान है जो क्रियान्वयन की तिथि से 6 वर्ष तक चलेगा । टीसीएस के नेतृत्व वाले संघ का निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-अन्तरण (बीओओटी) प्रचालक के रूप में चयन किया गया था । परियोजना को 18 फरवरी, 2006 को कोयम्बटूर में एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था । भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 18 मार्च, 2006 को दिल्ली में दूसरी पायलट परियोजना को प्रारम्भ किया । उसके पश्चात परियोजना को चरणबद्ध रूप में लागू किया गया और 4 सितम्बर, 2006 को कम्पनी रजिस्ट्रारों के सभी 20 कार्यालयों में लागू होने के साथ यह समूचे देश में लागू हो गया है । मंत्रालय ने लेगेसी डाटा की लगभग 5 करोड़ शीटों को स्कैन तथा डिजीटाइज्ड किया है जो अब इलैक्ट्रोनिक रजिस्ट्री का एक भाग होता है । इस प्रक्रिया में निर्मित डाटाबेस की धरोहर निगमित क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों, नियामकों, तथा आम जनता आदि के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी ।

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय

1.5.1 निवेशकों के हितों की रक्षा करना सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) की एक प्रतिबद्धता है । मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई हाल की पहलों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

- निवेशकों की शिकायतों की पावती 48 घंटों के भीतर दी जाए और उन पर उच्चतम प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जाए - प्रगति की निकटरूप से निगरानी की जाए ।
- रक्षा एकक न केवल मंत्रालय स्तर पर ही बल्कि क्षेत्रीय निदेशकों तथा कम्पनियों के पंजीयकों के स्तर पर भी खोले गए हैं तथा ये कार्य कर रहे हैं और नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के नाम तथा पते उनके दूरभाष के साथ मंत्रालय के वेबसाइट पर डाले गए हैं - उन्हें सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है ।
- ऑनलाइन निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली प्रारम्भ की गई और यह कार्य कर रही है ।
- क्षेत्र अधिकारियों को निवेशक रक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लिए जाने के लिए एनजीओ को प्रोत्साहित करने के निदेश दिए गए हैं ।
- कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) को सक्रिय किया गया है और प्रतिष्ठित एनजीओ निवेशकों को शिक्षित करने के उददेश्य वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं ।
- राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त करते हुए लुप्त कंपनियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है । संदर्शिका में गलत विवरण देने/ धोखाधड़ी से लोगों को पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करने/ऑफर दस्तावेज में मिथ्या विवरण देने आदि के लिए कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत 107 कम्पनियों तथा उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध अभियोजन चलाए गए हैं । भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 102/95 कम्पनियों और उनके प्रर्वतको/ निदेशकों के विरूद्ध प्राथमिकी दायर/दर्ज की गई है।

इन लुप्त कंपनियों के ब्यौरे उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के नाम तथा पते सहित विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं ताकि निवेशकों को आगे आकर इन कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने में सुविधा हो जिससे की पुलिस प्राधिकारियों को इन कंपनियों के विरूद्ध चलाई गई अपनी जाँच और अभियोजना में सहायता मिले ।

1.5.2 दीर्घावधि पहल के भाग के रूप में विद्यमान कम्पनी अधिनियम की व्यापक समीक्षा की जा रही है ताकि इसे बदलते हुए व्यापार के रूप और राष्ट्रीय तथा वैश्विक आर्थिक पारिदृश्य के अनुसार बनाया जा सके।

निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि

1.6.1 निवेशकों की जागरूकता में वृद्धि और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत कंपनी(संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) को स्थापित की गई है ।

1.6.2 आईईपीएफ के अंतर्गत इसमें पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा संगठनों के माध्यम से निवेशक शिक्षा तथा जागरूकता पर कई कार्यक्रमों का वित्त-पोषण तथा आयोजन किया गया है । 01.04.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान आईईपीएफ के अंतर्गत 6 नई संस्थाएं/संगठन पंजीकृत हुए है और इस प्रकार आईईपीएफ के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे संगठनों की कुल संख्या 40 हो गई है ।

1.6.3 01.04.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान मंत्रालय ने इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से जागरूकता/शिक्षण अभियान चलाए-

i) निवेशक शिक्षा पर विज्ञापनों की 3 श्रृंखलाओं को राष्ट्रीय तथा स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में जारी किया गया था । इन विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों को आईपीओ, बाजार इस्ट्रुमेंट, म्यूचुअल फंडों आदि मे निवेश करने पर शिक्षित करने के प्रयास किए गए थे ।

ii) विभिन्न समाचार-पत्रों में एक मीडिया अभियान चलाया गया था जिसमें उक्त शिक्षाप्रद संदेश के अतिरिक्त निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा क्रियाकलापों में रत एनजीओ/वीओ, विशेषकर जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच है, को आईईपीएफ योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था । इसके अतिरिक्त, ऐसे संगठन जो निवेशक शिक्षा/सुरक्षा से संबंधित मुददों के विषयों पर अनुसंधान करने के इच्छुक हैं उन्हें भी आईईपीएफ को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

iii) निवेश्कों से संबंधित मुददों और आईईपीएफ के संबंध में जागरूकता लाने के लिए प्रसार भारती के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो पर निवेशक शिक्षा संदेश प्रसारित किए गए थे ।

iv) शिकायतों के समाधान और निवेशक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र मुहैया कराने हेतु आईईपीएफ के अंतर्गत मिदास टच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन के माध्यम से एक "निवेशक हेल्प लाइन" www.investorshelpline.in प्रारम्भ की गई है ।

v) इसके अतिरिक्त, एक वेबसाइट नामतः www.watchoutinvestors.com को निवेशकों द्वारा अपनी अनैतिक प्रवर्तकों, कम्पनियों तथा निकायों से रक्षा करने में सहायता करने के लिए बनाई गई है। यह वेबसाइट आर्थिक चूककर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री है और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा चलाए जाने वाले अभियोजनो पर जानकारी देती है और 30.11.2006 तक इस पर 58,785 चूककर्ता निकायों और 26,510 चूककर्ता व्यक्तियों की प्रविष्टि की गई । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान इस वेबसाइट के अनुरक्षण हेतु प्राइम इंवेस्टर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एण्ड लीग (पीआईपीएएल) को 30 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है ।

vi) क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत तालुका स्तर पर सक्रिय नए संगठनों हेतु विशेष रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट (आईआईसीएम), मुम्बई के माध्यम से एक ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय निगमित शासन प्रतिष्ठान

1.7.1 कम्पनी कार्य मंत्रालय ने सीआईआई, आईसीएआई तथा आईसीएसआई के साथ मिलकर अच्छे निगमित शासन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु एक मंच मुहैया कराने और अच्छे निगमित शासन व्यवहार के महत्व पर निगमित प्रमुखों के सुग्राहीकरण, निगमित प्रमुखों, नीति–निर्माताओं, नियामकों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के मध्य अनुभव तथा विचारों के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक गैर–लाभ न्यास के रूप में राष्ट्रीय निगमित शासन प्रतिष्ठान का गठन किया है।

1.7.2 एनएफसीजी का इसके प्रबंधन हेतु एक 3 स्तरीय ढांचा है अर्थात कम्पनी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद, न्यासी बोर्ड तथा अधिशासी निदेशालय ।

1.7.3 बेहतर निगमित शासन हेतु नीतियों के प्रसार के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करने के लिए एनएफसीजी की एक वेबसाइट प्रारम्भ की गई है । एनएफसीजी ने एक कार्य योजना तैयार की थी जिसमें चिन्हित विचारों अर्थात (1) संस्थागत निवेशकों हेतु निगमित शासन मानदण्ड, (2) स्वतंत्र निदेशकों हेतु निगमित शासन मानदण्ड, और (3) लेखा परीक्षा हेतु निगमित शासन मानदण्ड, पर अच्छे निगमित शासन सिद्धान्तों का विकास शामिल है। इस संबंध में 3 कलर समूह गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनएफसीजी ने अच्छे निगमित शासन व्यवहारों के पालन की आवश्यकता हेतुं प्रचार करने के लिए श्रेष्ठ संस्थानों के माध्यम से निदेशकों हेतु प्रायोजक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, संगोष्ठियां तथा सम्मेलनों का आयोजन किया है। कम्पनी कार्य मंत्रालय ने आर्थिक सहयोग तथा विकास हेतु संगठन (ओईसीडी) के साथ मिलकर 16 तथा 17 फरवरी, 2006 को "भारत में निगमित शासन पर नीति विचार-विमर्श 2006" विषय पर केन्द्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था।

1.7.4 एनएफसीजी की भविष्य की योजनाओं में निगमित शासन पर एक देश व्यापी कार्यनीति अपनाने के मुददे को उठाना, दक्षिण एशिया, विशेषकर सार्क देशों के संबंध में निगमित शासन सहयोग प्रोत्साहित करना, छोटे तथा मध्यम उद्यमों हेतु निगमित शासन प्रक्रियाओं का प्रसार करना शामिल है ।

गम्भीर धोखाधड़ी जाँच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ)

1.8.1 सरकार ने गम्भीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय की स्थापना 2003 में की गई थी । इसने 1 अक्तूबर, 2003 से कार्य करना प्रारम्भ किया । यह संगठन एक बहुआयामी जाँच एजेंसी है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, कम्पनी कानून, विधि, न्यायालिक, विज्ञान जाँच, कराधान, अन्वेषण, आयकर आदि के विशेषज्ञों को तैनात किया जाता है । प्रारम्भिक चरणों में जाँच कम्पनी अधिनियम की धारा, 235 तथा 237 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है । दूसरे चरण में इस संगठन को पर्याप्त शक्तियां तथा पहुंच मुहैया कराने के लिए एक पृथक अधिनियम प्रस्तावित है । सरकार ने इस मामले पर उचित सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है । इस संगठन ने अपने कार्य करने के 3 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है ।

1.8.2 वर्तमान वर्ष में एसएफआईओ को जाँच हेतु 3 मामले सौंपे गए थे । अभी तक एसएफआईओ को जाँच हेतु 34 मामले सौंपे गए हैं । एसएफआईओ ने निम्नलिखित 28 मामलों में पहले ही अपनी जाँच रिपोर्ट दे दी है -

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1.	देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड
2.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लिमिटेड
3.	डिजाइन ऑटो सिस्टमस लिमिटेड
4.	बोनाजा बॉयोटेक लिमिटेड
5.	वत्सा कारपोरेशन लिमिटेड
6.	ट्राइम्फ इंटरनेशनल फाइनेन्स इंडिया लिमिटेड
7.	एन.एच सिक्योरिटीज लिमिटेड
8.	के.एन.पी. सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
9.	एन.वी.पारेख सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
10.	पेंथर फिन्कैप एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

11.	पेंथर इंवेसट्रेड लिमिटेड
12.	पेंथर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टस लिमिटेड
13.	ट्राइम्फ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
14.	ल्यूमीनेंट इंवेसट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
15.	क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड
16.	साइमंगल इंवेसट्रेड लिमिटेड
17.	क्लासिक शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
18.	गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

20.	चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
22.	मरदीया कैमिकल्स लिमिटेड
23.	एडम कॉमसोफ लिमिटेड
24.	कोलार बॉयोटेक लिमिटेड
25.	साउंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
26.	उषा इंडिया लिमिटेड
27.	माल्विका स्टील लिमिटेड
28.	कोशिका टेलीकॉम लिमिटेड

1.8.3 निम्नलिखित कम्पनियों में धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में अभियोजन के 288 मामले पहले ही दायर किए जा चुके हैं -

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	कम्पनी विधि के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या	आईपीसी के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या	दर्ज किए गए कुल मामले	वित्त वर्ष जिसमें शिकायत दर्ज की गई थी
1.	देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड	21	02	23	2005-06
2.	डिजाइन ऑटो सिस्टमस लिमिटेड	11	02	13	2005-06
3.	बोनाजा बॉयोटेक लिमिटेड	16	01	17	2005-06
4.	वत्सा कारपोरेशन लिमिटेड	106	08	114	2005-06
5.	मरदीया कैमिकल्स लिमिटेड	22	01	23	2005-06
6.	साउंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	35	09	44	2006-07
7.	कोलार बॉयोटेक लिमिटेड	25	04	29	2006-07
8.	एडम कॉमसोफ लिमिटेड	21	04	25	2006-07
9.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लिमिटेड	23	02	25	2006-07

1.8.4 तीन मामलों अर्थात मालविका स्टीलस लिमिटेड, उषा इंडिया लिमिटेड तथा कोशिका टेलीकॉम लिमिटेड में अभियोजन दायर किया जाना प्रगति पर है । केतन पारेख समूह की कम्पनियों के 16 मामलों की जाँच रिपोर्ट सरकार की जाँच के अधीन है और अभियोजन की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है । शौंक टेक्नोलॉजी लिमिटे, शौंक टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड तथा मैसर्स मोरपेन लेबोरेट्रीज लिमिटेड के मामले में जाँच प्रगति पर है और जाँच रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा ।

लेखांकन मानक

1.9 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210ए (जिसे कम्पनी (संशोधन)अधिनियम, 1999 के माध्यम से कम्पनी अधिनियम,1956 में शामिल किया गया था) के अनुपालन में केन्द्र सरकार उसके द्वारा कम्पनियों अथवा कम्पनियों के किसी वर्ग द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन नीतियों तथा लेखांकन मानकों के निरूपण तथा निर्धारण पर परामर्श देने के लिए एक परामर्शी समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत है जिसे लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति (एनएसीएएस) कहा जाएगा । एनएसीएएस ने फरवरी, 2006 में कम्पनी अधिनियम, 1956 कें अंतर्गत लेखांकन मानक 1-29(सिवाए लेखांकन मानक 8 के जिसे एएस 26 में समामेलित किया जा चुका है) निर्धारित करने की सिफारिश की थी । इन लेंखाकन मानकों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के रूप में दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 अधिसूचना संख्या जीएसआर 739(ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है ।

सीमित देयता साझेदारी विधेयक, 2006

1.10.1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका और पेशकश की जा रही सेवाओं की श्रृंखला में बढ़ती हुई विविधता के साथ एक नए निगमित रूप की आवश्यकता अधिकाधिक महसूस की जा रही है जोकि व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा उद्यम पहल को एक नूतन तथा दक्ष रूप में मिलने, व्यवस्थित करने तथा प्रचालन करने में समर्थ बना सके । यह आवश्यकता ऐसे व्यापार हेतु भी महसूस की गई है जिसमें एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता हो जो सेवा की आवश्यकता के अनुरूप लोचशीलता, ज्ञान तथा तकनीक आधारित उद्यम को बड़े पैमाने पर धारित कम्पनियों हेतु मंशा वाली विधिक तथा प्रक्रियाविधिक आवश्यकताओं को लगाए बिना मुहैया कराता हो । अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) ढांचा व्यापार संगठन के एक ऐसे रूप के तौर पर उभरा है जो व्यावसायिक सेवाएं देने वाले निकायों के लिए आम है किन्तु केवल उन्हीं तक ही सीमित नहीं है ।

1.10.2 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी कार्य मंत्रालय ने सीमित देयता साझेदारी के गठन और विनियमन हेतु और उससे संबंधित तथा प्रासंगिक मामलों पर प्रावधान करने के लिए सीमित देयता साझेदारी विधेयक, 2006 नामक एक विधेयक को 15 दिसम्बर, 2006 को राज्य सभा में पेश किया है ।

कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 2006

1.11 कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को 16 सितम्बर, 2006 तथा 1 नवम्बर, 2006 से प्रभावी किया गया है । अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के माध्यम से ई-फाइलिंग तथा निदेशक पहचान संख्या को प्राप्त करना क्रमशः 16 सितम्बर, 2006 तथा 1 नवम्बर, 2006 से बाध्यकारी कर दिया गया है ।

अधिसूचना/परिपत्र/प्रेस नोट

1.12 अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परिपत्र/प्रेस नोट जारी किए गए हैं -

क. अधिसूचनाएं

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विषय
1.	एसओ-1273(ई)	09.08.2006	लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति(एनएसीएएस) नामक परामर्शी समिति का गठन ।
2.	एसओ-1274(ई)	08.08.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना ।

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विषय
3	एसओ-1275(ई)	08.08.2006	कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना ।
4.	एसओ-1276(ई)	08.08.2006	सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अधिसूचना ।
5.	एसओ-1277(ई)	08.08.2006	कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अधिसूचना।
6.	एसओ-1278(ई)	08.08.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अधिसूचना ।
7.	जीएसआर-488(ई)	18.08.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार (परिषद के सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना।
8.	एसओ-489(ई)	18.08.2006	कम्पनी सचिव (परिषद के सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
9.	जीएसआर 490(ई)	18.08.2006	सनदी लेखाकार (परिषद के सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
10.	जीएसआर 497(ई)	21.08.2006	कम्पनी विनियम, 1956 में संशोधन ।
11.	जीएसआर 517(ई)	31.08.2006	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620ए के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28.5.1963 की जीएसआर- 978 में संशोधन।
12.	जीएसआर 525(ई)	31.08.2006	लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2006 के संबंध में दिनांक 8.3.2006 की जीएसआर-147 (ई) का शुद्धिपत्र ।
13.	एसओ 526(ई)	31.08.2006	कम्पनी (एकमात्र एजेंट की नियुक्ति) संशोधन नियमावली, 2006 के संबंध में दिनांक 8.3.2006 की जीएसआर-148 (ई) का शुद्धिपत्र ।
14.	जीएसआर 533(ई)	05.09.2006	कम्पनी सचिव (परिषद का चुनाव) नियमावली, 2006 की अधिसूचना।
15.	जीएसआर 534(ई)	05.09.2006	सनदी लेखाकार (परिषद का चुनाव) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
16.	एसओ 1439(ई)	05.09.2006	कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 की अधिसूचना ।

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विषय
17.	एसओ 1440(ई)	05.09.2006	सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 की अधिसूचना ।
18.	जीएसआर 546(ई)	08.09.2006	34 और कम्पनियों को निधि कम्पनी घोषित करने की अधिसूचना ।
19.	जीएसआर 556(ई)	05.09.2006	(तीसरे संशोधन) विनियम, 2006 की अधिसूचना ।
20.	जीएसआर 557(ई)	14.09.2006	कम्पनी (इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग तथा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना।
21.	जीएसआर 1529(ई)	14.09.2006	कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 अधिसूचना ।
22.	जीएसआर 555(ई)	14.09.2006	कम्पनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियमावली तथा फार्म (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
23.	जीएसआर 648(ई)	19.10.2006	कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 तथा 3 की अधिसूचना ।
24.	जीएसआर 649(ई)	19.10.2006	निदेशक पहचान संख्या नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
25.	जीएसआर 650(ई)	19.10.2006	क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय में तैनात क्षेत्रीय निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 266ए तथा 266बी के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन की अधिसूचना ।
26.	एसओ 1844(ई)	26.10.2006	इलैक्ट्रोनिक रूप से कंपनियों के सांविधिक दस्तावेज दायर करने तथा अन्य कारोबार हेतु योजना की अधिसूचना ।
27.	जीएसआर 621(ई)	04.10.2006	कम्पनी (इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग तथा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियमावली, 2006 के संबंध में दिनांक 14.9.2006 की जीएसआर-557 (ई) का शुद्धिपत्र।
28.	जीएसआर 708(ई)	17.11.2006	सनदी लेखाकार (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना।
29.	जीएसआर 709(ई)	17.11.2006	कम्पनी सचिव (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना।
30.	जीएसआर 710(ई)	17.11.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना।

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विषय
31.	जीएसआर 711(ई)	17.11.2006	अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष और सदस्यों को देय भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें और प्राधिकरण के व्यय को पूरा करने का तरीका) नियमावली, 2006 ।
32.	जीएसआर 712(ई)	17.11.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार (परिषद का चुनाव) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
33.	एसओ 1983(ई)	17.11.2006	कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना ।
34	एसओ 1984(ई)	17.11.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना।
35.	जीएसआर1985(ई)	17.11.2006	सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना ।
36.	जीएसआर 734(ई)	27.11.2006	लागत एवं सकर्म लेखाकार गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठक की प्रक्रियाविधि और अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें एवं भत्ते की बोर्ड नियमावली, 2006
37.	जीएसआर 735(ई)	27.11.2006	सनदी लेखाकार गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठक की प्रक्रियाविधि और अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें एवं भत्ते की बोर्ड नियमावली, 2006
38.	जीएसआर 736(ई)	27.11.2006	कम्पनी सचिव गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठक की प्रक्रियाविधि और अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें एवं भत्ते की बोर्ड नियमावली, 2006
39.	जीएसआर 739(ई)	07.12.2006	कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।

ख. सामान्य परिपत्र

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	05/2006	03.04.2006	कम्पनी (एकमा9 एजेंटों की नियुक्ति) नियमावली, 1975 में संशोधन ।
2.	06/2006	02.06.2006	30.5.2006 को प्रकाशित कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 23)
3	07/2006	17.08.2006	• लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति(एनएसीएएस) नामक परामर्शी समिति का गठन । • लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना । • सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अधिसूचना । • कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अधिसूचना । • लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अधिसूचना ।
4.	08/2006	29.08.2006	• लागत एवं सकर्म लेखाकार (परिषद के सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी सचिव (परिषद के सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • सनदी लेखाकार (परिषद के सदस्यों का नामांकन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी विनियम, 1956 में संशोधन ।
5.	09/2006	07.09.2006	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620ए के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28.5.1963 की जीएसआर- 978 में संशोधन ।
6.	10/2006	19.09.2006	• कम्पनी (एकमात्र एजेंट की नियुक्ति) संशोधन नियमावली, 2006 के संबंध में दिनांक 8.3.2006 की जीएसआर-148 (ई) का शुद्धिपत्र ।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
			• लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2006 के संबंध में दिनांक 8.3.2006 की जीएसआर-147 (ई) का शुद्धिपत्र ।
7.	11/2006	19.09.2006	• कम्पनी सचिव (परिषद का चुनाव) नियमावली, 2006 की अधिसूचना। • सनदी लेखाकार (परिषद का चुनाव) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 की अधिसूचना । • सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 की अधिसूचना । • 34 और कम्पनियों को निधि कम्पनी घोषित करने की अधिसूचना। • (तीसरे संशोधन) विनियम, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी (इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग तथा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 की अधिसूचना ।
8.	12/2006	04.10.2006	कम्पनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियमावली तथा फार्म (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006 की अधिसूचना ।
9.	13/2006	31.10.2006	• कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 तथा 3 की अधिसूचना । • निदेशक पहचान संख्या नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय में तैनात क्षेत्रीय निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 266ए तथा 266बी के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन की अधिसूचना ।
10.	14/2006	20.11.2006	इलैक्ट्रोनिक रूप से कंपनियों के सांविधिक दस्तावेज दायर करने तथा अन्य कारोबार हेतु योजना की अधिसूचना ।
11.	15/2006	06.12.2006	• कम्पनी (इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग तथा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियमावली, 2006 के संबंध में दिनांक 14.9.2006 की जीएसआर-557 (ई) का शुद्धिपत्र ।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
			• सनदी लेखाकार (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना। • कम्पनी सचिव (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना। • लागत एवं सकर्म लेखाकार (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष और सदस्यों को देय भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें और प्राधिकरण के व्यय को पूरा करने का तरीका) नियमावली, 2006 । • लागत एवं सकर्म लेखाकार (परिषद का चुनाव) नियमावली, 2006 की अधिसूचना । • कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना । • लागत एवं सकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना । • सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना । • लागत एवं सकर्म लेखाकार गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठक की प्रक्रियाविधि और अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें एवं भत्ते की बोर्ड नियमावली, 2006 । • कम्पनी सचिव गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठक की प्रक्रियाविधि और अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें एवं भत्ते की बोर्ड नियमावली, 2006

ग. प्रेस नोट

शून्य

घ. विभागीय परिपत्र

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	03/2006	06.09.2006	स्ट्रेट थ्रू प्रोसिस (एसटीपी) के माध्यम से कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में स्वतः लिए जाने वाले दस्तावेजों का प्रसंस्करण ।

मंत्रालय की वेबसाइट

1.13.1 मंत्रालय की नई वेबसाइट (http://www.mca.gov.in) अब पहले की वेबसाइट(www.dca.nic.in) के स्थान पर प्रचालनशील है । इसमें मंत्रालय के संगठन, प्रकाशनों, परिपत्र, अधिसूचनाएं, नागरिक चार्टर, वार्षिक रिपोर्ट, मासिक निगमित वृद्धि, संसदीय प्रश्न तथा उनके उत्तर और मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर उपयोगी जानकारी समाविष्ट है । यह नई वेबसाइट पैरा 1.4 में वर्णित की गई एमसीए-21 परियोजना के अंतर्गत सारी ई-सेवाओं को भी मुहैया कराती है ।

1.13.2 आरओसी के कार्यालयों के पास उपलब्ध निगमित सूचना के प्रसार को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को पूरा करने के लिए निम्नलिखित के संबंध में खोज सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं -

(1) कम्पनी निदेशिका

(2) पंजीकरण हेतु अनुमोदित नाम

(3) आरओसी शुल्क गणना

(4) आरओसी फार्म

मंत्रालय का नागरिक चार्टर

1.14 कम्पनी कार्य मंत्रालय का नागरिक चार्टर की वैबसाइट पर उपलब्ध है । चार्टर में उल्लिखित हमारी प्रतिबद्धताएं, आशाएं तथा मानक नीचे दिए गए हैं -

नागरिक चार्टर

'हमारी प्रतिबद्धता

हम अपने कार्य

सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
सदभाव और समझदारी
स्पष्टता और पारदर्शिता
स्वच्छता और कुशलता
के साथ पूरा करेंगे

हमारी आशाएं

हम निगमित क्षेत्र से अपने कर्तव्य और विधिक बाध्यताएं पूरा करने में शीघ्रता एवं औचित्यपूर्ण होने तथा हमें सूचना उपलब्ध कराने में सत्यनिष्ठ होने तथा ईमानदारी रखने की आशा करते हैं ।

हमारे मानदण्ड

हम

- आवेदनों, रिटर्न और सभी पत्रों आदि की उनके प्राप्त हाने के 7 दिनों के अंदर पावती भेजेंगे ।
- एजेंसियों के साथ नजदीकी सहयोग से पत्रों और शेयर/डिबेंचर प्रमाण-पत्रों के आवंटन जारी करने में विलम्ब आवेदनों से प्राप्त राशि को लौटानें, शेयरों के हस्तांतरण में विलम्ब और लाभांशों/ शेयरों/ डिबेंचरों/सावधिक जमाओं आदि पर ब्याज के गैर-भुगतान से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निपटान करेंगे ।
- सुनिश्चित करेंगे कि कम्पनी कार्य मंत्रालय, प्रादेशिक निदेशकों और कम्पनी रजिस्ट्रारों को प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों पर निश्चित समय के अंदर कार्रवाई की जाए ।
- शिष्टाचारी, त्वरित, प्रभावी होंगे और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेंगे ।
- बिना किसी शुल्क या कानून द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के अलावा किसी राशि की मांग किए बिना सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे । "